## बिहार सरकार
## भवन निर्माण विभाग

सं0सं0–भवन / 10 / आरोप–(लखीसराय) RWD–45 / 2014........892 (न्न)......./ पटना, दिनांक– 27/1/17

### :: संकल्प ::

श्री सुमन कुमार झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, खगड़िया, भवन निर्माण विभाग के विरूद्ध ग्रामिण कार्य विभाग के पत्रांक–3995 दिनांक–10.11.2014 द्वारा लखीसराय जिला में योजना शीर्ष–4515 / MNP योजनान्तर्गत NH-80 से ज्वास गाँव तक पथ निर्माण में गंभीर अनियमितता बरतने का आरोप प्रतिवेदित है ।

**2.** विभागीय पत्रांक–12549 दिनांक–11.12.2014 द्वारा श्री झा से उक्त आरोपों पर स्पष्टीकरण की माँग की गई । श्री सुमन कुमार झा के पत्रांक–शून्य दिनांक–15.01.2015 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक–5140 दिनांक–20.05.2015 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग से मंतव्य की माँग की गई।

**3.** ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक–4033 दिनांक–30.11.2015 से प्राप्त मंतव्य में आरोपित पदाधिकारी द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन की बगैर प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये पूर्व स्वीकृत रेखांकन से अलग दूसरे रेखांकन में कार्य कराने एवं अनियमित रूप से विपत्र तैयार कर भुगतान करने के लिए दोषी माना गया है ।

आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण कार्य विभाग से प्राप्त मंतव्य पर विभागीय तकनीकी समिति से मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। दिनांक–08.06.2016 को विभागीय तकनीकी समिति से प्राप्त मंतव्य में उल्लेखित है कि ''ग्रामीण कार्य विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकती है।''

**4.** अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सुमन कुमार झा के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र–''क'' में अंतर्विष्ट आरापों की जाँच विहित रीति से करने हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है जिसमें श्री ब्रजनन्दन प्रसाद, अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए मो० जहाँगीर आलम, योजना अभियंता, मुख्य अभियंता (उत्तर), उपभाग, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

5. श्री सुमन कुमार झा, कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया जाता है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों ।

**आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति संचालन पदाधिकारी / प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी / आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।**

बिहार राज्पाल के आदेश से,

25/1/17

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

**सरकार के अपर सचिव।**

ज्ञापांक–सं0सं0–भवन / 10 / आरोप–(लखीसराय)RWD–45 / 2014........892 (न्न)......./ पटना, दिनांक– 27/1/17

प्रतिलिपिः–आरोप प्रपत्र–''क'' एवं साक्ष्य की प्रति के साथ श्री ब्रजनन्दन प्रसाद, अपर सचिव–सह– संचालन पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही संपन्न कर निर्धारित अवधि में जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में तथा कार्यवाही अभिलेख उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

25/1/17

**सरकार के अपर सचिव।**

ज्ञापांक–सं0सं0–भवन / 10 / आरोप–(लखीसराय)RWD–45 / 2014......892 (अ)....../ पटना, दिनांक– 27/1/17

प्रतिलिपिः–मो० जहाँगीर आलम, योजना अभियंता, मुख्य अभियंता (उ०), उपभाग, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी / श्री सुमन कुमार झा, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु०

25/1/17

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–सं0सं0–भवन / 10 / आरोप–(लखीसराय)RWD–45 / 2014......892 (अ)....../ पटना, दिनांक– 27/1/17

प्रतिलिपिः–माननीय उप मुख्य (भवन निर्माण) मंत्री, भवन निर्माण विभाग के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, के आप्त सचिव / सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग / अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / सभी मुख्य अभियंता, भवन मिर्नाण विभाग / अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, भागलपुर / सभी उप सचिव, भवन निर्माण विभाग / सभी अवर सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/1/17

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–सं0सं0–भवन / 10 / आरोप–(लखीसराय)RWD–45 / 2014......892 (अ)....../ पटना, दिनांक– 27/1/17

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25/1/17

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–सं0सं0–भवन / 10 / आरोप–(लखीसराय)RWD–45 / 2014......892 (अ)....../ पटना, दिनांक– 27/1/17

प्रतिलिपिः–आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

25/1/17

सरकार के अपर सचिव।

25.1.17

D:\Sinha\Letter A.S & J.S.docx